प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील सं. 266/2016

1 - तुलसी राम साहू (मृत)

श्रीमती प्रेमिन बाई, पति- तुलसी राम साहू, आयु- लगभग 52 वर्ष, निवासी- ग्राम- कोडिया, पोस्ट- पौवाड़ा, थाना- उताई, तहसील और जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1 - नोहर सिंह सोनवानी (साहू), पिता- स्वर्गीय श्री क्रपाल सिंह सोनवानी, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- ग्राम- शिव नगर, वार्ड सं. 2, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

2 - सत्य विजय, पिता- तुलसी राम साहू, उम्र लगभग 20 वर्ष, (गलती से 48 वर्ष), निवासी- कोडिया, पोस्ट- पौवाड़ा, थाना- उताई, तहसील और जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़, वर्तमान पता- ब्लॉक सं. 38, मकान सं.- 10, सेक्टर-7, भिलाई, जिला- दुर्ग,

3 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- कलेक्टर दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

--- प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री आनंद शुक्ला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से	:	श्री एन. के. मालवीय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं.3/राज्य की ओर से	:	श्री अमन तंबोली, अधिष्ठित अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>**माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू**</u>

<u>**पीठ पर निर्णय**</u>

<u>**15/10/2025**</u>

1. अपीलार्थी/वादी ने यह अपील व्यवहार वाद सं.48-**A**/2011 में पारित 10.01.2012 दिनांकित डिक्री व आदेश की वैधता और स्थिरता पर सवाल उठाते हुए की गई है, जिसके तहत द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) ने वादी/प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि वादी/प्रत्यर्थी सं. 1 ने ग्राम कोडिया, पटवारी हल्का सं. 28, राजेंद्र सिंह मंडल गाँव आंडा, तहसील और जिला दुर्ग (छ. ग.) में स्थित खसरा सं. 477/6 की 0.072 हेक्टेयर (18 डिसमिल) भूमि के संबंध में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक व्यवहार वाद प्रस्तुत किया, जो मृतक प्रतिवादी सं. 1 तुलसीराम के स्वामित्व और कब्जे में था, जिसमें कथन किया गया था कि 14.06.2008 को, वादी और प्रतिवादी सं. 1 के मध्य रु. 2,00,000/- के कुल प्रतिफल के लिए उक्त भूमि के विक्रय के लिए एक मौखिक करार किया गया था। वादपत्र में आगे यह कथन किया गया है कि सहमत प्रतिफल के लिए अलग-अलग तिथियों पर कुल रु. 1,96,500/- का भुगतान किया गया था। 27.10.2008 को प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन पर आपत्ति जताई गई जिसके कारण विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं किया जा सका। वादी को इस संबंध में उचित विधिक कदम उठाने की सलाह दी गई थी। रु. 1,96,500/- प्राप्त करने के बावजूद वादियों ने ऊपरोक्त भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करते हुए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादियों ने वादपत्र के आरोप का खण्डन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया और यह कथन किया कि तुलसीराम ने कभी भी वादी के साथ वाद भूमि के विक्रय के लिए कोई मौखिक या लिखित संविदा नहीं किया था। वादी ने चार चेक के माध्यम से रु. 1,96,500/- का भुगतान किया है परन्तु इसका भुगतान विवादित भूमि के संबंध में नहीं किया गया था। प्रतिवादी सं. 2 को प्रतिवादी सं. 1 के स्वामित्व और कब्जे वाली भूमि के विक्रय या संव्यवहार के बदले में कोई धन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह वाद भूमि का स्वामी नहीं था। यह विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया गया था कि तुलसीराम ने विवादित भूमि को बेचने के लिए वादी के साथ कभी कोई सौदा नहीं किया था और वाद को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने संबंधित पक्षों द्वारा किए गए कथनों के आधार पर विचारार्थ 6 विवाद्यक तैयार किए। पक्षकारों ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण पर विचारण के समापन के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया, जिसमें रु. 1,96,500/- की राशि वादी को लौटाने का निर्देश प्रतिवादी सं. 1 को दिया गया था। यद्यपि, वादी के लिए, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के दावे को आक्षेपित डिक्री व आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद भी कि वादी पक्षों के मध्य विक्रय के करार के अभिवचनों को साबित करने में विफल रहा, 6 प्रतिशत ब्याज के साथ रु.1,96,500/- के प्रतिदाय की डिक्री व आदेश पारित कर गलती की। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने आक्षेपित निर्णय की कण्डिका सं.14 का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी तर्क किया कि वादी के पक्ष में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई रु.1,96,500/- की राशि के प्रतिदाय का अनुतोष विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (संक्षेप में '1963 का अधिनियम') धारा 22 (2) के अधीन उपबंधों का उल्लंघन है। वे निवेदन करते हैं कि

वादपत्र में वादी ने केवल इस घोषणा का अनुतोष मांगा है कि प्रतिवादी खसरा सं. 477/6, 0.070 हेक्टेयर (डिसमिल) भूमि के विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं और आगे यह अनुतोष कि यदि विक्रय विलेख प्रतिवादियों द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है तो विक्रय विलेख न्यायालय के माध्यम से निष्पादित किया जाए। किसी अन्य अनुतोष का दावा नहीं किया गया है। अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उप-धारा 2 के तहत प्रावधान का उल्लेख करते हुए वे निवेदन करते हैं कि 1963 के अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित किया गया है कि उप-धारा 1 (क) और (ख) के तहत उपबंधित कोई अनुतोष तब तक अनुदत्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वादी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से इसका दावा न किया गया हो। चूंकि धन के प्रतिदाय के किसी अनुतोष का दावा नहीं किया गया है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तरह का निर्देश जारी करने में गलती की। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **(2023) 3 एस. सी. सी. 714** में प्रतिवेदित **देश राज व अन्य बनाम रोहताश सिंह** के प्रकरण में निर्णय का संदर्भ दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय ने पाया था कि प्रतिवादी सं. 2 को रु. 1,96,500/- का भुगतान किया गया था। 1963 के अधिनियम की धारा 22 के तहत इसी प्रावधान का उल्लेख करते हुए, वे निवेदन करते हैं कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन में अनुतोष प्रदान करना या राशि का प्रतिदाय के लिए निर्देश प्रदान देना न्यायालय का विवेकाधिकार है। वादी का प्रकरण यह था कि उसने वादी सं. 2 को इस समझ के साथ रु. 1,96,500/- का भुगतान किया कि उक्त प्रतिफल का भुगतान भूमि के विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए विक्रय के मौखिक करार के बदले में किया जा रहा है, जिसका कुल प्रतिफल 2 लाख रुपए था। सहमत प्रतिफल से, रु. 1,96,500/- का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित डिक्री व आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

7. उत्तरवादी सं. 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि वाद वादी और निजी प्रत्यर्थियों के मध्य है, अतः वह प्रकरण के गुण-दोष पर कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं।

8. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. वादपत्र का परिशीलन दर्शाता है कि यह 2 लाख रुपये मूल्य के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद के शीर्षक के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह कथन किया गया है कि 14.06.2008 को रु. 2,00,000/- के कुल प्रतिफल के लिए खसरा सं. 477/06, 0.072 हेक्टेयर (18 डिसमिल) भूमि के विक्रय के लिए मौखिक करार किया गया था। और आगे वादपत्र के मुख्य भाग में इसके बदले में अलग-अलग तिथियों पर किए गए कुल रु. 1,96,500/- के भुगतान का उल्लेख किया गया है। यह भी कथन किया गया है कि 27.10.2008 को विक्रय विलेख के निष्पादन पर प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा आपत्ति जताई गई थी, अतः इसे निष्पादित नहीं किया जा सका और विधि के अनुसार आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. वाद के कथनों को साबित करने के लिए, अधिवक्ता ने अपने समर्थन में सात दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें वादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को जारी किया गया पंजीकृत विधिक नोटिस (प्र.**P**-1) भी सम्मिलित है। नोटिस के मुख्य भाग में विभिन्न तिथियों पर कुल रु. 1,96,500/- की राशि का उल्लेख है तथा अंतिम कंडिका में उल्लेख किया गया है कि ऋण राशि एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जाए अन्यथा वह न्यायालय की शरण लेगा। नोटिस के लेख से यह स्पष्ट है कि राशि, जिसको भुगतान का कथन किया गया है और जो वादपत्र में अभिवचन भाग का हिस्सा है, विक्रय के करार के लिए नहीं किया गया है, परन्तु एक हस्त ऋण के रूप में है। प्र.**P**-4 पुलिस अधीक्षक के पास दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट है और प्र.**P**-5 के माध्यम से, दण्ड प्रक्रिया

संहिता की धारा 155 के तहत कार्यवाही की गई है। वादी ने पासबुक में की गई प्रविष्टियों को भी यह दिखाने के लिए रखा कि प्रतिवादी सं. 1 को उसके खाते में उसके खाते के माध्यम से भुगतान किया गया है। वादी की जाँच अ.सा.-1 के रूप में की गई है। मुख्य परीक्षण में उसने वादपत्र में किए गए कथनों के अनुसार कथन किया यद्यपि, प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-8 में उसने स्वीकार किया कि उसने प्रतिवादियों को भूमि, जो वाद की विषय वस्तु है, के विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि नोटिस प्र.**P**-1 धन की मांग का है जिसे उसने ऋण के रूप में दिया था और खसरा सं. 477/6 की 0.7 हेक्टेयर भूमि को बेचने के लिए मौखिक करार का कोई उल्लेख नहीं है। उसने यह भी स्वीकार किया कि न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 को दी गई राशि के बदले में अपनी भूमि बेचने की सहमति दी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. शिवकुमार साहू की जाँच अ.सा.-2 के रूप में की जाती है। प्रतिपरीक्षण में, उसने स्वीकार किया कि उसने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के तहत प्रस्तुत अपने शपथ पत्र में उस उद्देश्य के बारे में उल्लेख नहीं किया है जिसके लिए वादी ने प्रतिवादी सं. 2 को धन दिए थे। उदय राम (अ.सा.-3) का भी साक्ष्य ऐसा ही है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की सराहना करने पर स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि वादी उसके और प्रतिवादी सं. 1 से 3 के मध्य किए गए विक्रय के मौखिक करार को साबित करने में विफल रहा है। यह भी अभिलिखित किया गया है कि यद्यपि वादी द्वारा रु. 1,96,500/- की राशि का भुगतान किया गया था, परन्तु वह यह साबित करने में विफल रहा कि उक्त राशि वाद भूमि के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए दी गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष को प्रतिवादी/वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किए जाने के बाद भी कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि विक्रय के लिए करार (मौखिक करार) के बदले में कोई राशि का भुगतान

किया गया है, यद्यपि, डिक्री व आदेश पारित किया गया था जिसमें प्रतिवादी सं. 2 को रु. 1,96,500/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

13. स्वीकृत तौर पर वादपत्र में, वादी ने अपने द्वारा भुगतान किए गए धन का प्रतिदाय के लिए अनुरोध नहीं किया है और न ही यह धन की वसूली के लिए वाद है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 7 विनिर्दिष्ट रूप से उस अनुतोष को उपबंधित करता है जिसका विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया जाना चाहिए। यह निम्नानुसार हैः-

> "7. **अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन**— हर वादपत्र में उस अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन होगा जिसके लिए वादी सामान्यतः या अनुकल्पतः दावा करता है और यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसा कोई साधारण या अन्य अनुतोष मांगा जाए, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे जो सर्वदा ही उसी विस्तार तक ऐसे दिया जा सकेगा मानो वह मांगा गया हो, और यही नियम प्रतिवादी द्वारा अपने कथन में दावा किए गए किसी अनुतोष को भी लागू होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. 1963 के अधिनियम की धारा 22 के तहत उपबंध, जो इस अपील के निराकरण के लिए सुसंगत है, सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धरित किया जा रहा हैः-

> "**22. कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन का प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति** – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति, समुचित मामले में-
>
> (क) ऐसे पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या कब्जा या विभाजन और

पृथक कब्जा मांग सकेगा; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अन्य अनुतोष, जिसका वह हकदार हो और जिसके अंतर्गत [उस द्वारा] दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है, मांग सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा न किया गया होः

परन्तु जहां कि वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधन करने के लिए अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हो।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अनुतोष अनुदत्त करने की न्यायालय की शक्ति धारा 21 के अधीन प्रतिकर देने की उसकी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

15. अधिनियम 1963 की धारा 22 की उप-धारा (1) (ख) प्रकरण तहत यह प्रावधान है कि कोई भी अन्य अनुतोष, जिसके लिए वह हकदार हो सकता है, जिसमें किसी भी अग्रिम धन का प्रतिदाय या उसके द्वारा भुगतान की गई या जमा की गई धन सम्मिलित है, यदि विनिर्दिष्ट पालन के लिए उसके दावे को अस्वीकार कर दिया जाता है और धारा 22 की उप-धारा 2 में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा उप-धारा (1) प्रकरण खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई अनुतोष तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा न किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. ऊपर उद्धरित दोनों उपबंधों अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों और 1963 के अधिनियम के तहत, यह स्पष्ट है कि जो अनुतोष धारा 22 (1) (ख) के तहत अनुदत्त की जा सकती है, वह सामान्य या अन्य अनुतोष नहीं है जो उसी सीमा तक प्रदान की जा सकती है जैसा कि न्यायालय सोच सकता है। परन्तु 1963 के अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) की भाषा को ध्यान में रखते हुए यह उल्लेख किया गया है कि उक्त अनुतोष तब तक नहीं अनुदत्त की जा सकती है जब तक कि इसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा नहीं किया जाता है। 1963 के अधिनियम के उक्त प्रावधान विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विचार किए जाने से बच गए हैं और वह गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादी रु. 1,96,500/- की राशि का हकदार है, जिसका उसके द्वारा भुगतान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. 1963 के अधिनियम की धारा 22 (1) (ख) के अंतर्गत प्रावधान का परिशीलन दर्शाता है कि अग्रिम धन या जमा के प्रतिदाय के वैकल्पिक अनुतोष का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब न्यायालय विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री प्रदान करने से इनकार कर दे। वर्तमान प्रकरण में, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह साबित नहीं पाया है कि वादी और प्रतिवादी के मध्य विक्रय का संविदा/अनुबंध हुआ था।

18. **देशराज व अन्य** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:- कण्डिका 32 से 35

> **"सी. 3. क्या प्रत्यर्थी बकाया राशि की वसूली का हकदार था?**
>
> 32. इस विवाद का अंतिम पहलू निचली न्यायालयों द्वारा प्रत्यर्थी को अपेक्षित ब्याज के साथ अग्रिम धन की वसूली के प्रारूप में प्रदान किए जाने के अनुतोष के संबंध में है। यद्यपि, इस मुद्दे की जांच करने से पहले हमें विक्रय करार के निम्नलिखित सुसंगत खंडों पर ध्यान देना होगा -

"1. यह कि यह तय किया गया है कि विक्रय के लिए इस करार के निष्पादन की तिथि 16-8-2004 [सोलह अगस्त दो हजार चार] है।

***

4. यह कि यदि दूसरा पक्ष निर्धारित तिथि पर विक्रय विलेख को निष्पादित करने में सक्षम नहीं है तो प्रथम पक्ष अग्रिम धन को जब्त करने का हकदार होगा।"

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. सबसे पहले, हम 1963 के विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (एतत्समिन् पश्चात् "वि. अ. अधिनियम ") की धारा 22 का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि संपत्ति के हस्तांतरण के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद प्रस्तुत करने वाला कोई भी व्यक्ति मांग सकता है- (क) इस तरह के पालन के अलावा संपत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक कब्जा या (ख) ऐसा व्यक्ति किसी अन्य अनुतोष की मांग कर सकता है, जिसके लिए वह हकदार है, जिसमें विनिर्दिष्ट पालन के लिए उस प्रकरण दावे को अस्वीकार करने की स्थिति में "उसके द्वारा भुगतान या जमा किए गए किसी भी अग्रिम धन का प्रतिदाय सम्मिलित है"। यद्यपि, इसकी उप-धारा (2) में एक चेतावनी है कि उपर्युक्त राहत न्यायालय द्वारा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि "इसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा नहीं किया गया हो"। उप-धारा (2) के परंतुक में आगे कहा गया है कि भले ही इस तरह की अनुतोष का वाद में विनिर्दिष्ट रूप से दावा नहीं किया गया था, यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह वादी को

"कार्यवाही के किसी भी स्तर में" वाद में संशोधन करने की अनुमति दे और उसे अग्रिम धन या भुगतान की गई जमा धन का प्रतिदाय के दावे को सम्मिलित करने की अनुमति दे।

	34. वि. अ. अधिनियम के उपबंध का सुसंगत भाग निम्नानुसार हैः -

	"22. कब्जा, विभाजन, अग्रिम धन का प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष अनुदत्त करने की शक्ति – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, स्थावर संपत्ति के अंतरण की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति, समुचित मामले में-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) ऐसे पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या कब्जा या विभाजन और पृथक कब्जा मांग सकेगा; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अन्य अनुतोष, जिसका वह हकदार हो और जिसके अंतर्गत दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है, मांग सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई अनुतोष न्यायालय द्वारा अनुदत्त नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसका विनिर्दिष्ट रूप से दावा न किया गया होः

परन्तु जहां कि वादपत्र में वादी ने किसी ऐसे अनुतोष दावा न किया हो वहां न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में वादी को वादपत्र में ऐसे अनुतोष का दावा अंतर्गत करने के लिए संशोधन करने के लिए अनुज्ञा ऐसे निबंधनों पर देगा जैसे न्यायसंगत हो।

(जोर दिया गया)

35. उपर उद्धरित उपबंध के सादे वाचन पर, हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि किसी संपर्क के विनिर्दिष्ट पालन के लिए अपने वाद में वादी न केवल अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की मांग करने का हकदार है, परन्तु वह किसी भी अग्रिम धन के प्रतिदाय सहित वैकल्पिक अनुतोष भी ले सकता है, परन्तु जंहा इस तरह के अनुतोष को वादपत्र में विनिर्दिष्ट रूप से सम्मिलित किया गया हो। यद्यपि, न्यायालय को व्यापक न्यायिक विवेकाधिकार दिया गया है कि वह वादी को कार्यवाही के बाद के स्तर में भी वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति दे और अग्रिम धन के प्रतिदाय की वैकल्पिक अनुतोष की मांग करे। कसौटी यह प्रतीत होती है कि जब तक कोई वादी विनिर्दिष्ट रूप से वाद दायर करने के समय या संसोधन के माध्यम से बकाया राशि के प्रतिदाय नहीं मांगता है, तब तक उसे ऐसा कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना खण्ड अग्रिम धन के प्रतिदाय की डिक्री अनुदत्त किए जाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।"

19. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों, ऊपर उद्धरित उपबंधों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के मत में, विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करने और प्रतिवादी सं. 2 को रु. 1,96,500/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने में गलती की, जो विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और तदानुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उस सीमा तक पारित डिक्री और निर्णय पोषणीय नहीं हैं और एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं।

20. तदानुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

21. तदानुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/-

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**